निर्देश सं० 52

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

सत्रहवाँ तल, जवाहर व्यापार भवन ,
(एस.टी.सी. बिल्डिंग) टॉलस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

ए-110018/01/2021-सी.ए.क्यू.एम. / 5283-5302 **दिनांक : 20.12.2021**

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत निर्देश : - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश और निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से सम्बंधित निर्देश स. 49 & 51 की समीक्षा ।

1. जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 (2) (xi) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायु गुणवत्ता और अधिक खराब होने से रोकने के लिए आयोग ने दिनांक 16.11.2021 के निर्देश संख्या 44 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियां (कुछ चिन्हित श्रेणियों को छोड़कर) 21.11.2021 तक बंद करने का निर्देश दिया था ।

2. जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 24.11. 2021 के आदेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबन्ध लगाया जिसमें निम्नलिखित शर्तें लगाई गई: -

" (i) निर्माण सम्बन्धी गैर-प्रदूषक गतिविधियाँ जैसे प्लंबिंग कार्य, आतंरिक सजावट, बिजली का काम, बढ़ई का काम करने की अनुमति होगी।

(ii) राज्य उस धन का प्रयोग करेंगे जिसे निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर के रूप में एकत्र किया गया है । जो कि निर्माण गतिविधियों के प्रतिबंधित होने की अवधि के दौरान श्रमिकों के गुज़ारा के लिए दिया जाता है और सम्बंधित श्रेणी के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अधिसूचित वेतन दिया जाए ।"

3. जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा दिनांक 27.11.2021 को एक व्याख्यात्मक आदेश जारी किया गया था, जिसमें आयोग के निर्देश संख्या 44 के पैरा 4 (i) में निहित प्रतिबन्ध सुनिश्चित किये गए थे जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24.11. 2021 के आदेश में निहित शर्तों के अधीन था।

4. जबकि, दिसंबर, 2021 के महीने के दौरान आम तौर से वायु गुणवत्ता "बहुत ख़राब" या "गंभीर" ए.क्यू.आई. श्रेणी में रहने के कारण , दिल्ली- एन. सी. आर. में वायु प्रदूषण में योगदान करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधों को जारी रखने पर विचार किया गया ।

5. जबकि, दिनांक 15.12.2021 के निर्देश सं० 49 के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ आयोग ने निर्देश किया कि दिल्ली में सी.एन.जी. /विद्युत् ट्रक और अत्यावश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों के सिवाय ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध रहेगा ।

6. जबकि, वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए दिनांक 17.12.2021 के निर्देश संख्या 51 के सन्दर्भ में आयोग ने एन. सी. आर. में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंधों में ढील दी थी और अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया कि :-

(1) एन. सी. आर. में परियोजनाओं की निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी:-

(क) रेलवे सेवायें /रेलवे स्टेशनों

(ख) स्टेशनों सहित मेट्रो रेल सेवायें ं

(ग) हवाई अड्डे और अन्तर्राज्य बस टर्मिनल (आई. एस. बी. टी.)

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा सम्बन्धी गतिविधियाँ/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं

(ड०) अस्पताल/नर्सिंग होम/ स्वस्थ्य देखभाल सुविधाएं

(च) लम्बी सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन आदि।

(छ) स्वच्छता और सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाएं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र, पाइपलाइन आदि ।

(झ) विशेष सहायक गतिवधियां जो कि उपरोक्त श्रेणी की परियोजनाओं के लिए अनुपूरक हो ।

(II) उपरोक्त छूट आयोग द्वारा समय- समय पर जारी किये गए निर्देशों के अनुपालन सहित सी एन्ड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, धूल नियंत्रण मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के अधीन है ।

(III) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 1135/2020 "आदित्य दुबे (नाबालिग) एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य" में दिनांक 24.11.2021 के आदेश के तहत यथा निर्देशित निर्माण कार्य से सम्बंधित गैर-प्रदूषण गतिविधियां जैसे प्लंबिंग कार्य, आतंरिक सजावट, विद्युत् कार्य और बढ़ई का काम करने की अनुमति जारी रहेगी।

(iv) उपरोक्त निर्देश आयोग द्वारा अगली समीक्षा किए जाने तक, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होने तक लागू रहेंगे। "

7. जबकि, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक "बहुत खराब" श्रेणी से सुधरा है और पिछले 03 दिनों से लगातार "ख़राब" श्रेणी में रहा है और आई. एम. डी. द्वारा मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान क्षेत्र से प्रदूषकों के फैलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए, हवा की गति और जलवायु परिस्थितियों की इस अनुकूल प्रवृति को जारी रखने के संकेत देता है।

8. अब, इसलिए, निर्देश संख्या 49 और 51 को आगे बढ़ाते हुए, केवल दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश और दिल्ली एवं एन.सी.आर. में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को शुरू करने से सम्बंधित खंड के संबंध में आयोग निर्देश देता है :-

(i) दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश की अब तक केवल चुनिंदा अनुमति थी, अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से अनुमति दी जाएगी ।

(ii) एन. सी. आर. में निर्माण एवं विध्वंस (सी.एण्ड.डी.) गतिविधियों के लिए अब तत्काल प्रभाव से अनुमति दी जाएगी/सी.एण्ड.डी. गतिविधयां शुरू करने वाले व्यक्तियों / एजेंसियों को समय-समय पर आयोग द्वारा जारी धूल नियंत्रण मानदंडों के साथ निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत दिए गए दिशा निर्देशों और इस संबंध में सी. पी. सी.बी. के विभिन्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

(iii) इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के जी.एन.सी.टी.डी. और एन.सी.टी. डी. और एन.सी.आर. ज़िलों के अधिकार क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं के लिए 500 वर्ग मीटर या अधिक के भूखंडों / स्थलों में परियोजना प्रस्तावक सम्बंधित एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन रिमोट निगरानी के उद्देश्य से विकसित वेब पोर्टल पर अपनी परियोजनाओं को तत्काल पंजीकृत करेंगे ।

(iv) हरियाणा और राजस्थान राज्यों के लिए, जहां वेब पोर्टल अभी शुरू किया जाना है, इसे, 20 जनवरी, 2022 तक पूरा करने की आवश्यकता है । ऐसे समय तक विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए क्षेत्र स्तरीय निरीक्षण और ऐसे सी एन्ड डी स्थलों की निगरानी के लिए अभियान तेज किये जाने की आवश्यकता है।

(v) यद्यपि, यह निर्देश उन प्रस्तावकों / इकाइयों के सम्बन्ध में लागू नहीं है जहां सी.एन्ड.डी. गतिविधियों को रोकने के लिए विशिष्ट आदेश जारी किये जा चुके हैं और ऐसी इकाइयाँ / प्रस्तावक इन निर्देशों के आधार पर सी.एन्ड.डी. गतिविधियां फिर से शुरू नहीं करेंगे। यह दोहराया जाता है कि ऐसी इकाइयों/प्रस्तावकों को सी. एन्ड.डी. गतिविधियों की बहाली के लिए उचित निर्णय के लिए अलग से और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा, जैसा कि आयोग के दिनांक 16.12.2021 के आदेश सं० ए-110018/01/2021-सी.ए.क्यू.एम. में निहित है।

हस्ता ०

अरविन्द नौटियाल
(सदस्य सचिव)
दूरभाष सं० : 011 - 23701197
ई-मेल: arvind.kumar@nautiyal@gov.in

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष एवं सभी सदस्य, सी. ए. क्यू.एम.

हस्ता ०
(**अरविन्द नौटियाल**)
सदस्य सचिव